



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082020-220822
CG-DL-E-04082020-220822

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2214]
No. 2214]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SHRAVANA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का.आ. 2505 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 37.135 से कि.मी.52.730 उस्मान नगर से कुंद्राल तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "११/०५/२०२०" को "लोकमत १" और "लोकमत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 37.135 से कि.मी.52.73 उस्मान नगर से कुंद्राल तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: नांदेड					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मुखेड				
	गांव का नाम: बेरली खू.				
1	398	निजी	एग्रीकल्चर	0.009	दत्ता यादव (३९८)
2	398	निजी	एग्रीकल्चर	0.009	सिंदराम संभाजी (३९८)
3	403	निजी	एग्रीकल्चर	0.04	वैजनाथ इरवंता आरगिले (४०३)
4	403	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	वैजनाथ इरवंता आरगिले जायमोक्याप्रमाणे रस्ता (४०३)
5	404	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02	गवर्नमेंट रोड (४०४)
	गांव का नाम: राठोडवाडी				
6	39	निजी	एग्रीकल्चर	0.2315	शेवा थावरा पवार (३९)
7	39	निजी	एग्रीकल्चर	0.1315	भगवान थावरा पवार (३९)
8	41	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	वसंत सीताराम पवार (४१)

9	49	निजी	एग्रीकल्चर	0.0365	पंचफुलाबाई शिवाजी पवार (४९)
10	49	निजी	एग्रीकल्चर	0.1265	श्यामराव नंदू राठोड (४९)
11	50	निजी	एग्रीकल्चर	0.156	नंदू सकू राठोड (५०)
12	51	निजी	एग्रीकल्चर	0.28	जगनाथ नंदू राठोड (५१)
13	52	निजी	एग्रीकल्चर	0.05	बालाजी नंदू राठोड (५२)
14	66	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	पांडू सिताराम आडे, जगनाथ नंदू राठोड, बालाजी नंदू राठोड, पांडुरंग धनसिंग राठोड, हरी धोंडीबा चव्हाण, देवीदास काशीराम राठोड, भारत काशीराम राठोड, रामचंद्र काशीराम राठोड, श्यामराव नंदू राठोड (६६)
15	Pandan Rasta	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.03	पंदन रास्ता, जगनाथ नंदू राठोड (पंदन रोड)
			कुल	1.1800	

[फा. सं. RW/NH-12014/22/2017/MAH-P6/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

SO. 2505(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH161A on the stretch of land from Km 37.135 to Km 52.730 Usman nagar to Kundral section in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” and “Lokmat Times” both dated 11/05/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH161A in the stretch of land from km 37/135 to 52/730 Usman nagar to Kundral Section in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA District: NANDED					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mukhed				
	Viilage: Berli Kh.				
1	398	Private	Agriculture	0.009	Datta Yadav 398
2	398	Private	Agriculture	0.009	Sindram Sambhaji 398
3	403	Private	Agriculture	0.04	Vaijnath Irawata Aargile 403
4	403	Private	Agriculture	0.02	vaijnath Irawata Aargile jaymokyapramanr rasta 403
5	404	Government	Non Agriculture	0.02	government Road 404
	Viilage: Rathodwadi				
6	39	Private	Agriculture	0.2315	Sheva Thavra Pawar 39
7	39	Private	Agriculture	0.1315	Bhagwan Thavra Pawar 39
8	41	Private	Agriculture	0.01	vasant Sitaram Pawar 41
9	49	Private	Agriculture	0.0365	Panchfulabai Shivaji Pawar 49
10	49	Private	Agriculture	0.1265	Shyamrao Nandu Rathod 49
11	50	Private	Agriculture	0.156	Nandu Sakru Rathod 50
12	51	Private	Agriculture	0.28	Jagnath Nandu Rathhod 51
13	52	Private	Agriculture	0.05	Balaji Nandu Rathod 52

14	66	Private	Agriculture	0.03	Pandu sitaram Aade, jagnath Nandu Rathod, Balaji Nandu Rathod, Pandurang Dhanasingh Rathod, Hari Dhondiba Chavan, Ramchandra Kashiram Rathod, Devidas Kashiram Rathod, Bharat Kashiram Rathod, Shyamrao Nandu Rathod 66
15	Pandan Rasta	Government	Non Agriculture	0.03	Pandan Rasta, Jagnath Nandu Rathod Pandan road
			TOTAL	1.18	

[F. No. RW/NH-12014/22/2017/MAH-P6/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.